Regd. No. CHD/0093/2012-2014

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

CHANDIGARH, MONDAY, JULY 14, 2014
(ASADHA 23, 1936 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 14th July, 2014

No. 31-HLA of 2014/67.— The Indian Penal Code (Haryana Amendment) Bill, 2014 is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly:—

Bill No. 31—HLA of 2014

THE INDIAN PENAL CODE (HARYANA AMENDMENT) BILL, 2014

A

BILL

further to amend the Indian Penal Code, 1860, in its application to the State of Haryana.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-fifth Year of the Republic of India as follows :—

1. This Act may be called the Indian Penal Code (Haryana Amendment) Act, 2014. Short title.

2. In the Indian Penal Code, 1860, in its application to the State of Haryana, after Section 379, the following sections shall be inserted, namely:— Insertion of Section 379-A and 379-B in Central Act, 45 of 1860.

"379-A. **Snatching.**—(1) Whoever, with the intention to commit theft, suddenly or quickly or forcibly seizes or secures or grabs or takes away from any person or from his possession any moveable property, and makes or attempts to make escape with such property, is said to commit snatching.

(2) Whoever, commits snatching, shall be punished with rigorous imprisonment for a term, which shall not be less than five years but which may extend to ten years, and shall also be liable to fine of rupees twenty five thousand.

379-B. **Snatching with hurt, wrongful restraint or fear of hurt.**— Whoever, in order to commit snatching, or in committing the snatching, causes hurt or wrongful restraint or fear of hurt; or after committing the offence of snatching, causes hurt or wrongful restraint or fear of hurt in order to effect this escape, shall be punished with rigorous imprisonment which shall not be less than ten years but which may extend to foruteen years, and shall also be liable to fine of rupees twenty five thousand.".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

For some time past, the incidents, of snatching especially from women and business persons have been reported from various parts of the State. Such incidents create a sense of fear and insecurity in them. Criminals often take advantage of shortcomings in the existing laws to get away lightly in the event of their arrest. At present, no specific section has been provided in the Indian Penal Code for snatching incidents, Cases are being registered under Section 356 IPC which deals with assault or criminal force in attempt to commit theft of property carried by a person. Maximum punishment of Section 356 is two years, or with fine, or with both. As is evident, the quantum of punishment is not deterrent enough to discourage criminals from committing snatching offences.

To curb the menace of criminals indulging in snatching incidents and to instil a sense of security in the women and business persons. It is necessary in the public interest to make stringent provisions in the existing laws.

PT. SHIV CHARAN LAL SHARMA,
Minister of State for Labour & Employment, Haryana.

Chandigarh :
The 14th July, 2014.

SUMIT KUMAR,
Secretary

[प्राधिकृत अनुवाद]

2014 का विधेयक संख्या 31 – एच० एल० ए०

भारतीय दण्ड संहिता (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2014

भारतीय दण्ड संहिता, 1860, हरियाणा राज्यार्थ,
को आगे संशोधित
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम।

1. यह अधिनियम भारतीय दण्ड संहिता (हरियाणा संशोधन) अधिनियम, 2014, कहा जा सकता है।

1860 के केन्द्रीय अधिनियम 45 में धारा 379क तथा 379ख का रखा जाना।

2. भारतीय दण्ड संहिता, 1860, हरियाणा राज्यार्थ, में धारा 379 के बाद, निम्नलिखित धाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"379क. छीनना.—(1) जो कोई चोरी करने के आशय से किसी चल सम्पत्ति को किसी व्यक्ति से या उसके कब्जे से अचानक झपटता है या तेजी से दबाता है या बलपूर्वक छीनता है या ले जाता है और ऐसी सम्पत्ति सहित भागता है या भागने का प्रयास करता है, तो उक्त को छीनना कहा जाता है।

(2) जो कोई छीनने का कार्य करता है, तो वह ऐसी अवधि जो पांच वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो दस वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है, के लिए कठोर कारावास से दण्डनीय होगा और पच्चीस हजार रुपये के जुर्माने का भी दायी होगा।

379ख. उपहति, सदोष अवरोध या उपहति के डर सहित छीनना.— जो कोई छीनने के क्रम में, या छीनने के कार्य में, उपहति या सदोष अवरोध या उपहति का डर दिखाता है; या छीनने का अपराध करने के बाद, अपने बचाव में उपहति या सदोष अवरोध या उपहति का डर दिखाता है, तो वह ऐसे कठोर कारावास जो दस वर्ष से कम नहीं होगा किन्तु जो सौदह वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, से दण्डनीय होगा और पच्चीस हजार रुपये के जुर्माने का भी दायी होगा।"।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

पिछले कुछ समय से राज्य के विभिन्न हिस्सों से छीना झपटी की, विशेषकर महिलाओं और व्यापारिक व्यक्तियों से, घटनाएं ध्यान में लाई गई हैं। इस तरह की घटनाएं उनमें डर और असुरक्षा की भावना पैदा करती हैं। अपराधी अक्सर गिरफ्तारी की सूरत में मौजूदा कानून में कमियों का लाभ उठा कर बच निकलने में कामयाब हो जाते हैं। वर्तमान में छीना झपटी की घटनाओं के लिये भारतीय दण्ड संहिता में किसी विशिष्ट धारा का प्रावधान नहीं किया गया है। ऐसे अपराधों को भा०द०सं० की धारा 356, जो किसी व्यक्ति द्वारा जबरदस्ती बल प्रयोग द्वारा उसकी संपत्ति की चोरी से संबंधित है, के अन्तर्गत दर्ज किया जाता है।

धारा 356 के अन्तर्गत अधिकतम दो वर्ष, या जुर्माना, या दोनों की सजा का प्रावधान है। जैसा कि स्पष्ट है, सजा की मात्रा ऐसे अपराधों से अपराधियों को हतोत्साहित करने के लिये पर्याप्त नहीं है। अपराधियों द्वारा की जाने वाली छीना झपटी की वारदातों पर अंकुश लगाने के लिये और महिलाओं और व्यापारिक व्यक्तियों में सुरक्षा की भावना पैदा करने के लिये जनहित में मौजूदा कानूनों में कड़े प्रावधान करने की सख्त आवश्यकता है।

पंडित शिव चरण लाल शर्मा,
श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
दिनांक :4 जुलाई, 2014.

सुमित कुमार,
सचिव।

52461—H.V.S.—H.G.P., Chd.